जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 145 प्रभात चूरू, शनिवार 21 सितम्बर, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

स्मृति ईरानी होंगी, भाजपा की तरफ से दिल्ली के मु.मंत्री पद की उम्मीदवार

आप द्वारा आतिशी मारलेना को मु.मंत्री बनाने के बाद स्मृति ईरानी का नाम सबसे ऊपर है, भाजपा के मु.मंत्री के चेहरे के रूप में

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। लोकसभा चुनावों में अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा के हाथों पराजित हो जाने और उसके बाद उपेक्षा का दंश झेलने के बाद, अब ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आर्क लाइट में वापस आ जायेंगी। दरअसल, पार्टी हाईकमान उन्हें अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रचार अभियान के चेहरा के रूप में प्रोजैक्ट करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।

अमेठी की हार के बावजूद, ऐसी आशा की जा रही थी कि हाई प्रोफाइल नेता ईरानी या तो राज्यसभा में समायोजित कर ली जायेगी या फिर उन्हें संगठन के अंदर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जायेगी। लेकिन ईरानी, अपना सरकारी आवास खाली करने के बाद के महीनों में वेटिंग मोड में हैं। उन्होंने कुछ सप्ताह पहले उस समय जरूर सार्वजनिक क्षेत्र में जरा सा ध्यान आकर्षित किया था, जब उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यु में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि जब वे सफेद टी-शर्ट पहने हुये संसद में बैठे थे तो वे युवाओं का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच रहे थे। ईरानी ने कहा था कि अब राहुल गांधी के कार्यों और शब्दों में कथनी और करनी में एक रणनीति निहित होती है। ईरानी का यह इन्टरव्यु वायरल हुआ था और ऐसी अटकलें लगने लगी थीं कि वे मोदी-शाह के राजनैतिक तौर-तरीकों से स्वयं को दूर कर रही हैं तथा आर.एस.एस. के नज़दीक जा रही है।

- एक बार बाँसुरी स्वराज के नाम पर भी चर्चा हुई थी, पर, स्मृति ईरानी के राजनीतिक अनुभव व पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की क्षमता के कारण स्मृति ईरानी को ज्यादा उपयुक्त माना गया।
- दिल्ली के मु.मंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर पार्टी के नेताओं की दो बैठक वृंदावन व पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित मुख्यालय में हो चुकी हैं, पर, अंतिम निर्णय रणथम्भौर में आयोजित होने वाले वरिष्ठ नेताओं की बैठक में फाइनल होने की बात है।
- सामान्य तौर पर , भाजपा में चुनाव से पूर्व भावी मु.मंत्री का नाम घोषित करने की परम्परा नहीं है। परन्तु, 2015 में पहली बार किरण बेदी के नाम की घोषणा की थी, जैसे ही किरण बेदी आप छोड़कर भाजपा से जुड़ी थीं। चुनाव से पूर्व, पर, यह परीक्षण बुरी तरह असफल रहा था।
- न केवल किरण बेदी स्वयं हारीं, आप ने भी प्रचंड बहुमत से 70 में से 67 सीट जीत अपनी सरकार बनायी थी।

उल्लेखनीय है कि पार्टी महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष, जो आर.एस.एस. से भाजपा में आए हैं, मंगलवार को हुई राजनेताओं की उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें स्मृति ईरानी को दिल्ली में कोई भूमिका देने की चर्चा हो रही थी। भाजपा सामान्यत: मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजैक्ट नहीं करती है, लेकिन 2015 में पार्टी इस नीति से हट गई थी तथा उसने किरण बेदी को केजरीवाल की आप को छोड़ने के चन्द रोज के अन्दर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजैक्ट कर दिया था। भाजपा के लिये यह प्रयोग बुरी तरह फ्लॉप रहा था तथा दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटें आप ने जीत ली थीं तथा स्वयं किरण बेदी, कृष्णा नगर सीट पर आप के एस.के. बग्गा से चुनाव हार गई थीं।

आतिशी मारलेना के मुख्यमंत्री बनने के बाद, ईरानी का नाम, एक महिला के रूप में, भाजपा की ओर से एक प्रभावी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

13 साल की नाबालिग से गैंगरेप

श्रीगंगानगर, 20 सितम्बर (कासं)। जिले के सादुलशहर थाना इलाके के एक गांव की 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप का का मामला सामने आया है। लड़की घर का जरूरी सामान लेने के लिए गांव की एक दुकान पर गई थी। इसी दौरान 3 बदमाशों ने जबरदस्ती उसे कार में बैठाया और सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया।

इस संबंध में पीड़िता के मामा ने देर रात मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा को दी गई है। घटना के बाद शुक्रवार सुबह अनुपम मिश्रा सादुलशहर थाने पहुंचे और पीड़िता के परिजनों से जानकारी ली। पीड़िता के मामा ने दर्ज करवाये मामले में बताया कि उसकी 13 साल की भांजी उसके पास ही रहती थी। शाम को उसकी नानी ने उसे कुछ घरेलू सामान लाने के लिए पास की दुकान पर भेजा। कुछ देर बाद तक जब वह नहीं

- सूत्रों के अनुसार गांव के तीन लोगों ने नाबालिग का किडनैप किया और बलात्कार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तिरूपति प्रसादम विवाद के बाद कर्नाटक सरकार भी एक्शन मोड में आई

कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों में वितरित होने वाले प्रसादम की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू में कथित मिलावट को लेकर पैदा हुए आक्रोशपूर्ण विवाद के बाद, कनार्टक के मुख्यमन्त्री ने स्वाभाविक चिन्ता के फलस्वरूप, राज्य के सभी बड़े मन्दिरों में बँटने वाले प्रसादम के जाँच अभियान चलाने के आदेश जारी कर दिए।

प्रसंगवश बता दें कि सुप्रसिद्ध तिरुपति लड्डू, जिस पर जी.आई. टैग है, में अशुद्धता के प्रवेश की बात, घी के सप्लायर के बदलाव के बाद, जानकारी में आई है। पिछले वर्ष जुलाई तक, प्रसादम बनाने के लिए मन्दिर ट्रस्ट को "कर्नाटक मिल्क फेडरेशन" नन्दिनी ब्रान्ड घी की सप्लाई करता था। लेकिन के.एम.एफ. ने घी के दाम बढ़ा दिए, तो अनुबन्ध टूट गया था तथा घी की सप्लाई का ठेका तमिलनाडु के डिंडीगल नामक स्थान पर स्थित "ए.डी.डेयरीज" को दे दिया गया था। गत वर्ष अगस्त से नई व्यवस्था शुरू हो गई थी, उस समय आन्ध्र प्रदेश में वाई.एस.आर.सी. का शासन था।

- तिरूपति प्रसादम में अशुद्धि तब सामने आई जब घी का सप्लायर बदला गया। गत जुलाई तक प्रसादम के लिए कर्नाटक मिल्क फैडरेशन से नंदिनी घी मंगाया जाता था।
- पर, कर्नाटक मिल्क फैडरेशन द्वारा घी की कीमत बढ़ाए जाने पर टी.टी.डी. ने घी वितरण का ठेका तमिलनाडू की एक डेयरी फर्म को दे दिया। उस समय आंध्र में जगनमोहन की सरकार थी, बस तभी से गड़बड़ी शुरु हुई।
- कर्नाटक सरकार ने अब सभी मंदिरों में प्रसादम के लिए नंदिनी घी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।

हालाँकि कर्नाटक इस विवाद के दोषारोपण से बच गया है, लेकिन यह कोई भी चीज संयोग पर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि राज्य की ऐसी किसी भी घटना से विपक्षी भाजपा को और बल एवं प्रोत्साहन मिलेगा, जो इस समय विपक्षी वाई.एस.आर.सी.पी. पर जबरदस्त भड़की हुई है तथा इसके समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर तमिलनाडु पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह राज्य के सभी मन्दिर-प्रशासनों को केवल नन्दिनी घी को काम में लेने के निर्देश देगी, जिससे वहाँ भक्तों को बाँटे जाने वाले प्रसादम की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

कर्नाटक के मन्त्री रामलिंगा रेड्डी ने एक निजी टेलिविजन चैनल को बताया, "तिरुपति विवाद के बाद, हमारे कर्नाटक के मन्दिरों में दिए जाने वाले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक हाई कोर्ट जज की "गैर मर्यादित" टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ ने कर्नाटक हाई कोर्ट से दो दिन में रिपोर्ट मांगी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस वेदव्यासाचार्य श्रीषानंद द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस श्रीषानंद मकान मालिक से संबंधित एवं विवाद में बैंगलोर के मुस्लिम बहुल इलाके को "पाकिस्तान" करार दिया था और एक महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बैंच, जिसमें जस्टिस एस. खन्ना, बी.आर. गवई, जस्टिस एस. कांत और एच. रॉय भी शामिल थे, ने कहा कि कोर्ट में जजों की टिप्पणी के संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रूम की कार्यवाही की निगरानी में इस समय सोशल मीडिया सक्रिय भूमिका निभाता है, ऐसे में यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि न्यायिक टिप्पणियां गरिमापूर्ण होनी चाहिए।

सी.जे.आई. ने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज द्वारा सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी पर हमारा ध्यान गया है हमारा कर्नाटक हाई कोर्ट से आग्रह है कि इस संबंध में रिपोर्ट दें और रिपोर्ट दो दिन में दी जाए। अगले बुधवार को इस पर सुनवाई होगी।

सोशल मीडिया पर जस्टिस श्रीषानंद के वीडियो वायरल हो रहे है एक वीडियो में वे बैंगलुरू के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहते दिख रहे है तो दूसरे वीडियों में वे एक महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर

- कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस श्रीषानंद के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडिया में वे बैंगलोर के मुस्लिम बहुल इलाके को "पाकिस्तान" कहते नज़र आ रहे हैं तथा दूसरे वीडियो में वे महिला पर "आंतरिक वस्त्र" सम्बंधी अभद्र टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं।
- सी.जे.आई. ने कहा, अदालतों की न्यायिक टिप्पणियों में मर्यादा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, खास कर इस युग में जब सोशल मीडिया कोर्ट रूम ट्रायल की निगरानी कर रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जैसलमेर के फायरिंग रेंज में मोर्टार बम फटा

जैसलमेर, 20 सितम्बर (निसं)। जैसलमेर जिले की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के दौरान ट्रेनी जवानों से मोर्टार बम फटने पर 4 जवान घायल हो गए और 2 को गंभीर हालत में होने पर पोकरण अस्पताल में इलाज के बाद जोधपुर रेफर किया गया है।

जैसलमेर की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में शुक्रवार दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। युद्धाभ्यास के दौरान एक मोर्टार बम अचानक फट गया। हादसे में सीमा सुरक्षा बल के चार जवान घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सभी घायलों को पोकरण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बी.एस.एफ. के वरिष्ठ अधिकारी और पोकरण पुलिस अस्पताल हॉस्पिटल पहुंचे। घायल जवानों के नाम उदय,

- युद्धाभ्यास के दौरान हुए इस हादसे में चार जवान घायल हो गए तथा दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुलिस थाने में पुरुष अफसर ने महिला के कपड़े उतारे

पीड़िता एक सैन्य अफसर की पुत्री तथा एक अन्य सैन्य अफसर की मंगेतर है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। ओडिशा में प्रधानमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलने के 72 घंटों के अंदर, एक महिला जो सेना अधिकारी की बेटी है तथा एक सैनिक अधिकारी की मंगेतर है, को रात को घर लौटते समय छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, एक पुरुष पुलिस अधिकारी ने उसको निर्वस्त्र किया और उसके आंतरिक वस्त्र भी उतार दिए तथा उससे ऐसी बातें बोली, जिन्हें सार्वजनिक रूप से बोला नहीं जा सकता।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में इस घटना का विवरण दिया और पूछा, क्या इस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं और प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त हैं और उनके पास समय नहीं है।

श्रीनेत ने कहा, "हमें पता नहीं कि भारत की महिला व बाल विकास मंत्री कौन हैं, क्योंकि वो कभी-कभार ही बोलती हैं, वास्तव में तो वो बोलती ही नहीं हैं। भाजपा की महिला सांसदों के लिए संसद में चुना जाना महत्वपूर्ण है, बजाय महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अपना मुँह खोलने के।"

श्रीनेत ने कहा, "भारत में महिला आयोग भाजपा के मुखपत्र के समान है। लेकिन यह कैसे बर्दाशत किया जा सकता है, इसे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा, इसे कौन उचित ठहरा सकता है? यह किसी ऐसी महिला के साथ नहीं हो रहा है जो शिक्षित नहीं है, जिसे अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। वह एक वकील है। उसकी सगाई सिख रैजिमेंट के एक सेना अधिकारी के साथ हुई है। और यही नहीं, मणिपुर में कारगिल योद्धा की पत्नी के साथ ऐसा हुआ है। मध्यप्रदेश में हमारे सैनिक अधिकारियों की महिला साथियों के साथ ऐसा हुआ, इस देश में यह क्या हो रहा है? महिलाएं कहाँ पर सुरक्षित हैं? पुलिस स्टेशन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जैसा इस केस में हुआ। उस महिला के विरुद्ध अपराध, उसका यौन शोषण, पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ, और इसके लिए जवाबदेह कौन है?"

इस घटना पर कार्यवाही को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में श्रीनेत ने कहा, "सबसे पहला कदम तो यह है कि, यह स्वीकार करना कि उस महिला के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ? उसके साथ क्या-क्या हुआ ? कम से कम यह स्वीकार तो करिए। यह भी स्वीकार करिए कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे हैं। यही वास्तविकता है। यह हमारी पहली मांग है, इसे छुपाइए नहीं, यह ढोंग मत करिए कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं। यदि वो खेत में काम करने वाली श्रमिक हैं, तो वो सुरक्षित नहीं हैं, यदि वो हॉस्पिटल में

- सेना ने इस घटना पर गंभीर नाराजगी जताई। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने ओडिशा के डी.जी.पी. और प्रशासन से बात की है। सेना के अनुसार सेवारत सैन्य अधिकारी को हिरासत में लेना और निकटतम सैन्य इकाई को सुचित नहीं करना गैर कानूनी है।
- कांग्रेस ने इस घटना को लेकर महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, प्र.मन्त्री ने ओडिशा में महिला सशक्तिकरण पर बात की और मात्र 72 घंटे के भीतर ही पुलिस थाने में एक महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बस खाई में गिरी, बी.एस.एफ. के चार जवान मरे

श्रीनगर, 20 सितंबर। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में एक बस के खाई में गिरने से सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के कम से कम चार जवानों की मौत हो गई और 26 घायल हो गये।

अधिकारियों ने बताया कि बी.एस.एफ. द्वारा दूसरे चरण के चुनाव ड्यूटी के लिए किराए पर ली गई एक सिविल बस बडगाम के वतरहाल इलाके के ब्रेल के पास एक खाई में गिर गई, जिसके कारण बीएसएफ के कई जवान घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया, घायलों में से चार की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि करीब 26 घायलों को बडगाम और श्रीनगर में विभिन्न

- जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में यह हादसा हुआ। यह बस चुनाव ड्यूटी के लिये किराये पर ली गयी थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सुप्रीम कोर्ट का कोलीजियम कोई सर्च पैनल नहीं है'

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि जवाब दे कि कोलीजियम द्वारा जजों की नियुक्ति के लिये भेजे गये नाम पर अभी तक "नियुक्ति" क्यों नहीं हुई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो संभवतया कार्यपालिका व न्यायपालिका के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है, के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए कितने नाम प्रस्तावित किए हैं और सरकार कारण बताए कि अभी तक भी इन पर विचार क्यों नहीं किया गया है और वे किस स्तर पर लम्बित हैं।

तीन जजों की बैच की अध्यक्षता करते हुए जज डी.वाय. चंद्रचूड ने एटॉर्नी जनरल आर. वैंकटरमानी से कहा कि आप एक चार्ट लेकर आईए और हमें हरेक सिफारिश, जिसे कोलीजियम ने दोहराया है, का स्तर बताइए और यह भी बताइए कि उन नियुक्तियों में क्या समस्या है।

सी.जे.आई. ने कहा, मिस्टर एटॉर्नी जनरल हमारा आइडिया गुप्त बातें सामने लाने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है ताकि सरकार का काम चलता रहे, बस।

बैच में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। बैच ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए जिसमें मांग की गई थी कि कोलीजियम द्वारा अनुशंसित जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने की समय सीमा फिक्स की जानी चाहिए।

बैंच ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम कोई सर्च कमेटी नहीं है, जिसकी सिफारिशों को रोका जा सकता हो।" सी.जे.आई. ने मोदी सरकार की कार्यशैली की कड़ी आलोचना की और कहा कि क्या आप कोलीजियम द्वारा दुबारा भेजे गए नामों की लिस्ट बना सकते हैं और बता सकते हैं कि ये नाम किस स्तर पर लम्बित हैं और क्यों?

बैंच ने कहा कुछ नियुक्तियां होने वाली हैं और हमें उम्मीद है कि ये जल्दी ही होंगी। उसके बाद एटॉर्नी जनरल की तारीख आगे बढ़ाने की मांग स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।

याचिका में कहा गया है कि सुनिश्चित अवधि के अभाव में सरकार नियुक्तियों की अधिसूचना जारी करने में मनमाने तरीके से देरी करती है और इससे न्यायपालिका स्वतंत्रता प्रभावित होती है तथा संवैधानिक व लोकतांत्रिक व्यवस्था बाधित होती है।

वैंकटरमानी ने बैंच से एक सप्ताह का समय मांगा और कहा कि तब वे अवश्य बताए पाएंगे कि कोलीजियम ने 11 जुलाई 2024 को जो सिफारिशें की थी, उनका स्टेटस क्या है।

तब कोलीजियम ने सात हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की थी।

इस मामले में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने हस्तक्षेप करते हुए याचिका दायर की थी और कहा कि कई सिफारिशें मंजूर होनी बाकी है। इसके बाद बैंच ने वैंकटरमानी से चार्ट मांगा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हरेक केस में अपनी अलग बाते हैं, कुछ विवाद हैं। इसलिए मुझे नहीं पता कोर्ट इसमें किस हद तक विचार कर सकता हैं। कुछ जानकार मित्र कह सकते हैं यह नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ पर आप बेहतर जानते हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यद्यपि कोलीजियम ने जस्टिस बी.आर. सारंगी को झारखंड का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी पर नियुक्ति में देरी होने के कारण उन्हें पद पर काम करने के लिए मात्र एक माह ही मिला था।

- सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगर कोलीजियम द्वारा अनुशंसित जिन जजों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, सरकार कारण भी बताये कि उनकी नियुक्ति नहीं करने का कारण क्या है? नियुक्ति देने में क्या दिक्कत है।
- मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित इस बैंच में दो अन्य सदस्य थे। न्यायाधीश पारदीवाला व न्यायाधीश मनोज मिश्रा। यह बैंच उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई है कि न्यायालय वह अवधि निर्धारित करे, जिसमें सरकार कोलीजियम द्वारा नियुक्ति के लिए भेजी गई सिफारिशों पर नियुक्ति दे।

सुप्रीम कोर्ट का यू-ट्यूब चैनल हैक हुआ

नयी दिल्ली, 20 सितंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया है। पहले जहां इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़े वीडियो आते थे, वहीं, अब पूरे चैनल पर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं।

शीर्ष अदालत संवैधानिक पीठों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब का उपयोग कर रही है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वीडियोज को हैकर्स ने प्राइवेट कर दिया है। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन फिलहाल यूट्यूब चैनल की हैकिंग की जांच कर रहा है।

- सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले चैनल पर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े विडियो चले।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)